

एच.एस.बी.

माननीय न्यायमूर्ति आर. एन. मित्तल के समक्ष  
अपीलीय दीवानी

इकबेल सिंह - जेडी/अपीलकर्ता,

बनाम  
ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली, डीएच/प्रतिवादी

ई.एफ.ए. 1975 का 454

2 दिसंबर, 1975

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का V) - धारा 60 (1), परंतुक (सीसीसी) - एक निर्णय-देनदार के स्वामित्व और कब्जे वाले एक से अधिक आवासीय घर - डिक्री धारक के कहने पर ऐसे एक घर की कुर्की - निर्णय-देनदार - क्या धारा 60 (1) के परंतुक (सीसीसी) के तहत संलग्न घर की छूट का दावा करने का हकदार है ।

यह माना गया कि नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 (1) के परंतुक (सीसीसी) को पढ़ने से पता चलता है कि विधायिका का इरादा यह था कि एक निर्णय-देनदार को एक आवासीय घर के डिक्री के निष्पादन में कुर्की और बिक्री से छूट प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, बशर्ते वह उसके कब्जे में हो। यदि वह मालिक है और केवल एक ही घर के कब्जे में है, तो वह उसे बनाए रख सकता है और यदि वह मालिक है और एक से अधिक घरों के कब्जे में है तो वह उनमें से मुख्य आवासीय घर को बनाए रख सकता है। इस परंतुक से यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि निर्णय-देनदार मालिक है और एक से अधिक घरों के कब्जे में है और उनमें से केवल एक ही संलग्न है, तो वह उस घर की छूट का दावा नहीं कर सकता क्योंकि वह दूसरे आवासीय घर के कब्जे में है। यदि वह किसी अन्य घर के कब्जे में है, तो उसे डिक्री धारक द्वारा कुर्क और बेचा जा सकता है। एक आवासीय मकान की कुर्की और बिक्री से छूट मिलने के बाद यदि दूसरा मकान कुर्क किया जाता है तो उसे प्रावधान का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(पैरा 5)

भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन, प्रार्थना करता है कि अपील दायर करने में देरी को माफ कर दिया जाए।

अपीलकर्ता की ओर से एस. सी. कपूर, एडवोकेट।

प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट एस. के. अग्रवाल।

निर्णय

राजेंद्र नाथ मित्तल, न्यायमूर्ति (मौखिक)-(1) यह निर्णय 1975 के सिविल विविध संख्या 927-सी-1 और 1975 के निष्पादन प्रथम अपील संख्या 454 का निपटारा करेगा। यह अपील वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश,

अंबाला के दिनांक 27 मार्च, 1974 के फैसले के खिलाफ निर्णय-देनदार द्वारा दायर की गई है। जिसके द्वारा निर्णय-देनदारों द्वारा दायर आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था।

(2) मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, अंबाला द्वारा निर्णय-देनदारों के खिलाफ डिक्री-धारक के पक्ष में 9 दिसंबर, 1965 को 26,957/2/9 रुपये की वसूली के लिए एक डिक्री पारित की गई थी।, डिक्री-धारक ने डिक्री के निष्पादन में, विवाद में संपत्ति को कुर्क कर लिया। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 और 60 के तहत निर्णय-देनदारों में से एक इकबाल सिंह द्वारा आपत्ति याचिका दायर की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया था कि विवाद में घर निर्णय-देनदारों का मुख्य आवासीय घर था और उनके कब्जे में थे। डिक्री-धारक द्वारा आपत्ति याचिका का विरोध किया गया था। निष्पादन न्यायालय ने माना कि निर्णय-देनदार यह साबित करने में विफल रहा कि उनके पास भारत में विवाद में घर के अलावा कोई आवासीय घर नहीं था। हालांकि, उन्होंने इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं दिया कि विवाद वाला घर उनके कब्जे में था या नहीं। नतीजतन, उन्होंने आपत्ति याचिका खारिज कर दी। निर्णय-देनदार ने वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की। उनके समक्ष एक आपत्ति की गई थी कि उनके पास अपील पर फैसला करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि मामले का अधिकार क्षेत्र मूल्य 10,000 रुपये से अधिक था। जिला न्यायाधीश ने डिक्री-धारक की आपत्ति को स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि अपील 16 जून, 1975 को उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्णय-देनदार को वापस कर दी जाए। निर्णय-देनदार ने 28 जून, 1975 को इस न्यायालय में अपील दायर की, साथ ही देरी के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन भी दायर किया।

(3) प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा एक आपत्ति ली गई है कि अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह सीमा द्वारा निषिद्ध है। मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है, लेकिन प्रतिवादी के विद्वान वकील की दलील में कोई दम नहीं मिला। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन में अपीलकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि अपीलकर्ता ने अंबाला के जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की, इस विश्वास के तहत कि उसके पास इसका फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है। अपील को अंबाला के जिला न्यायाधीश के कार्यालय द्वारा बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया गया था और सुनवाई की तारीख यानी 10 जून, 1975 तक दूसरे पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी। अपील को 16 जून, 1975 को वापस करने का आदेश दिया गया था। गर्मी की छुट्टियों के कारण उस समय उच्च न्यायालय बंद था। इस अदालत में अपील 28 जून, 1975 को दायर की गई थी, जो छुट्टी के बाद पहला शुरुआती दिन था। हलफनामे को देखने और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद मेरा विचार है कि वकील की गलती वास्तविक थी और इसलिए, मैं 28 जून, 1975 को अपील दायर करने में देरी को माफ करता हूं। मैं तदनुसार सिविल विविध का निर्णय लेता हूं।

(4) अपीलकर्ता के विद्वान वकील का एकमात्र तर्क यह है कि अपीलकर्ता ने दलील दी थी कि विवाद में घर उनके पास एकमात्र आवासीय घर है और वे उस पर कब्जे में थे। विद्वान वकील के अनुसार, न्यायालयों ने उपरोक्त प्रश्न पर निर्णय लिए बिना कहा है कि निर्णय-देनदार यह दिखाने में विफल रहा है कि उनके पास पूरे भारत में कोई अन्य आवासीय घर नहीं था। वह आगे तर्क देता है कि विद्वान निष्पादन न्यायालय का दृष्टिकोण गलत था।

(5) मैंने अपीलकर्ता के विद्वान वकील के तर्क पर एक विचारशील विचार किया है और इसमें सार पाया है। तर्कों की सराहना करने के लिए, नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 60 (1) के परंतुक (सीसीसी) को संदर्भित करना आवश्यक है। इसमें कहा गया है कि एक मुख्य आवासीय मकान और उससे जुड़ी अन्य इमारतें जो कृषक के अलावा किसी अन्य निर्णय-देनदार से संबंधित हैं और उसके द्वारा कब्जा कर ली गई हैं, डिक्री के निष्पादन में कुर्की या बिक्री के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी। उपरोक्त परंतुक को पढ़ने से

पता चलता है कि विधायिका का इरादा यह था कि एक निर्णय-देनदार को एक आवासीय घर की डिक्री के निष्पादन में कुर्की और बिक्री से छूट प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, बशर्ते वह उसके कब्जे में हो। यदि वह मालिक है और केवल एक घर के कब्जे में है, तो वह उसी को बनाए रख सकता है और यदि वह मालिक है और एक से अधिक घरों के कब्जे में है, तो वह उनमें से मुख्य आवासीय घर को बनाए रख सकता है। परंतुक से, यह नहीं बताया गया है कि यदि निर्णय-देनदार मालिक है और एक से अधिक घरों के कब्जे में है और उनमें से केवल एक ही संलग्न है, तो वह उस घर की छूट का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह दूसरे आवासीय घर के कब्जे में है। यदि वह किसी अन्य घर के कब्जे में है, तो उसे डिक्री-धारक द्वारा कुर्क और बेचा जा सकता है। एक आवासीय मकान की कुर्की और बिक्री से छूट मिलने के बाद यदि दूसरा मकान कुर्क किया जाता है तो उसे प्रावधान का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(6) वर्तमान मामले में विद्वान न्यायालय ने इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं दिया है कि घर निर्णय-देनदार के कब्जे में था या नहीं। इसने आपत्ति को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया है कि निर्णय-देनदार को यह साबित करना होगा कि उसके पास भारत में विवाद वाले घर के अलावा कोई आवासीय घर नहीं था और वह परंतुक के संरक्षण का हकदार नहीं था, अगर उसके कब्जे में कोई अन्य आवासीय घर था। परंतुक पर विद्वान न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या त्रुटिपूर्ण है और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है।

(7) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, मैं अपील स्वीकार करता हूं और ऊपर की गई टिप्पणियों पर विचार करने के बाद मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए निष्पादन न्यायालय को सौंप देता हूं। इस मामले की परिस्थितियों में, मैं लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देता हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वीरेंद्र कुमार  
प्रीक्षिणु न्यायिक अधिकारी  
चंडीगढ़

